-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना नरैनी पुलिस टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के जेवरात व नकद 03 हजार रुपए बरामद।**
- **अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.03.2026 को थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत बरसडामानपुर में घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.03.2026 को थाना नरैनी पुलिस टीम द्वारा थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत बरसडामानपुर में घर का ताला तोड़कर हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना नरैना क्षेत्र के बरसडामानपुर में पप्पू पुत्र रामसेवक के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा सोने के जेवरात चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत किया गया कर अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में थाना नरैनी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों, वैज्ञानिक व तकनिकी साक्ष्यों का प्रयोग कर अभियुक्तों की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर 24 घण्टे के अन्दर लहुटेरा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 11.03.2026 को थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत बरसडामानपुर में घर का ताला तोड़कर चोरी की, दिनांक 01.04.2026 को थाना अतर्रा क्षेत्र मोहल्ला राजनगर प्रहलाद सिंह के पुरवा में चोरी की तथा दिनांक 04.08.2025 को थाना अतर्रा क्षेत्र बजरंग नरग कस्बे में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के जेवरात व नकद 03 हजार रुपए बरामद।

बरामदगी-

- 351 ग्राम जेवरात (सफेद धातु)
- 7.2 ग्राम जेवरात (पीली धातु)
- 5.8 ग्राम टंच माल (पीली धातु)
- 03 हजार रुपए नकद (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोसम्मी शफीक पुत्र भूरा निवासी लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- ✓ मु0अ0सं0- 53/26 धारा 305 बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।
- ✓ बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शफीक-

1. मु0अ0सं0- 53/26 धारा 305 बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 114/25 धारा 305/331(3) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 283/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री संदीप तिवारी प्र0निरी0 थाना नरैनी
2. श्री सुबेदार बिन्द चौकी प्रभारी करतल
3. कां0 रुपेन्द्र सिंह
4. कां0 अनुज यादव